

रिपोर्ट परकारी हलका/आवेदनकर्ता
 आवेदन पत्र को राजस्व में दर्ज की गई। विभागे अनुसार

उपरोक्त प्रमाण दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा रहा है।
 दिनांक 24/11/2020

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्दिष्ट है कि आवेदन पत्र में वर्णित अनुसार आवेदन पत्र नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाने की अनुरोध की जाती है।

उक्त विना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
 दिनांक 24/11/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला इंद्रौर (ज.)
 - आदेश -

दिनांक - 24/11/2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अनल दरानद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुडाहट्ट	207578	299	मालचन्द गुर्जर भद्राचार्य जीत गुर्जर 29/10/15	मालचन्द गुर्जर भद्राचार्य जीत गुर्जर दि. 24-11-2020

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 24/11/2020

क्रमांक :- राजस्व/2020/1367-88

- वैलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी

